

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

पुस्तकालय

क्र.सं.		धारा 4(1)(ख) के तहत 17 श्रेणियों का विवरण
1.	संगठन का विवरण अनुभाग।	राजस्थान पुलिस अकादमी पुस्तकालय
2.	अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य एवं शक्तियाँ।	(क) सहायक निदेशक (स्पेशल कोर्सेज एवं सीओई) – समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व। (ख) पुस्तकाध्यक्ष – निर्धारित किये गये पुस्तकालयाध्यक्ष के कार्यों का सम्पादन करना। (ग) सहायक स्टाफ (02) प्रदत्त समस्त कार्यों का सम्पादन।
3.	निर्णय बनाने के लिए प्रक्रिया।	पुस्तकालयाध्यक्ष के द्वारा उचित माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित कर निदेशक महोदय के आदेशानुसार निर्णय किये जाते हैं व आदेश की पालना की जाती है।
4.	कार्यों के निर्वहन के लिए मानदण्ड।	नियमानुसार पुस्तकालय के कार्यों के निर्वहन हेतु जारी मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय के समस्त कार्यों को करना तथा जारी की गयी एस ओ पी के अनुसार पुस्तकालय कार्यों का संपादन करना।
5.	कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम।	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के अनुसार निर्धारित सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुये कार्यों का निर्वहन। वर्गीकरण – ड्यूवी डेसीमल स्कीम अनुसार तथा सूचीकरण – अंग्लो अमेरिका कैटलांग रूल्स – 2 के अनुसार तथा सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकृत पुस्तकालय कार्य ई – ग्रन्थालय साफ्टवेयर के माध्यम से
6.	श्रेणियों का विवरण।	<ul style="list-style-type: none"> ● एक्सेसन रजिस्टर (पुस्तकें), ● एक्सेशन रजिस्टर (सीडी एवं डीवीडी), ● एक्सेशन रजिस्टर (समाचार पत्र एवं सम सामयिक प्रकाशन), ● इश्यू रजिस्टर, पुस्तकें निस्तारण रजिस्टर आदि।
7.	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।
8.	परामर्शदात्री समितियां अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।
9.	अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका।	पुस्तकाध्यक्ष, फोन न0 0141- 2302131 पी वी एक्स न0 550.
10.	अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक।	लेखा शाखा।
11.	बजट प्रत्येक एजेन्सी को आंवटित।	लेखा शाखा।
12.	सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन।	लागू नहीं।
13.	रियायतें, परमिट पाने वाले का ब्यौरा।	लागू नहीं।

14.	एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचना।	राजस्थान पुलिस अकादमी की वेबसाइट पर उपलब्ध।
15.	नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं।	सहायक निदेशक, प्रशासन को दिये गये आवेदन एवं उनके निर्देशानुसार अनुपालना।
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पदनाम विशिष्टताएं।	सहायक निदेशक (प्रशासन) लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक आरपीए प्रथम अपील अधिकारी।
17.	ऐसी अन्य सूचनाएं।	विभाग द्वारा समय-समय सम्बन्धित सूचना को प्रकाशित किया जाता है।